महत्वपूर्ण / प्राथमिकता

संख्या-9-1666(2) / 86-2014-371 / 2005

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधिक्षक
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 09 जून, 2014

विषय- अवैध खनन व माफियाओं द्वारा अवैध वसूली पर प्रभावी कार्यवाही के संबंध में।

महोदय,

विभिन्न समाचार-पत्रों व इलेक्ट्रानिक्स मिडिया के माध्यम से विभिन्न जनपदों में अवैध खनन व माफियाओं द्वारा अवैध वसूली की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही है। शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि अवैध खनन व माफियाओं द्वारा अवैध वसूली के मामलों में कठोरतम कार्यवाही की जाए। प्रत्येक जिले में वहाँ के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधिक्षक का दायित्व है कि इस प्रकार की घटनाएँ उनके जनपद में न हों। अवैध खनन व माफियाओं द्वारा अवैध वसूली रोकने हेतु जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक सीधे जिम्मेदार होंगे।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in